कार्यालय निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्री तुलछाराम सिगांरिया पुत्र श्री रामाराम सिंगारिया जाति रेगर निवासी रेगरो का छोटा बास,जैतारण जिला पाली द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में दी गई अधिकतम आयु की छूट श्रेणी में गैर अनुदानित शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों को भी शामिल कर 15 वर्ष की छूट दिये जाने बाबत माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में डीबी सिविल रीट 5687/18 दायर की।

माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 27.04.2018 द्वारा याचिका को प्रभावहीन होने के आधार पर खारिज करते हुए याचिकार्थी की आयु सीमा में छूट की परिवेदना को विधि सम्मत नहीं मानते हुवे प्रत्यर्थी विभाग द्वारा ही इस पर निर्णय लिये जाने हेतु निर्देशित किया है।

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.04.2018 के कम में श्री सिंगारिया द्वारा अभ्यावेदन विभाग को प्रस्तुत किया। श्री सिंगारिया के अभ्यावेदन को प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 मे अधिकतम आयु में 15 वर्ष की शिथिलन देने का गुणावगुण के आधार पर राजस्थान,शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियमो के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के नियम–10 में उल्लेखानुसार ही प्रधानाध्यापक भर्ती 2018 मे आयु सीमा में छूट का प्रावधान किया गया है। अतः याचिकार्थी द्वारा प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में दी गई अधिकतम आयु की छूट की श्रेणी में गैर–सरकारी शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों को 15 वर्ष की छूट दिये जाने की मांग को खारिज करते हुए एतद द्वारा अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

कमाक शिविरा/मा/सस्था/बी–III/प्र.अ.अर्थना/17–18 दिनांकः– 10-8-18

प्रतिलिपि सुचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित हैः–

1.उपशासन सचिव शिक्षा(ग्रुप–2) विभाग राजस्थान,जयपर।
2.सिस्टम एनालिस्ट ,कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
3.जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) मा0 जोधपुर।
4.जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक,पाली।
5.संबन्धित कार्मिक श्री तुलछाराम सिंगारिया निवासी रेगरो का छोटा बास,जेतारण,पालीं।
6.रक्षित प्रत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)